आत्महत्या के फ़र्जी केस में फ़ंसाने की धमकी देकर एसपी ने मांगे 50 लाख

हिसार (म.मो.) फ़ोर्ड व वॉक्स वैगन कारों की एजेंसी व कुछ अन्य कारोबार करने वाले प्रदीप नेहरा ने बाकायदा प्रेसवार्ता द्वारा प्रिंट व सोशल मीडिया को बताया कि किस तरह यहां डीआईजी बनने के बावजूद एसपी का पद सम्भाले बैठे बलवान सिंह राणा ने उन्हें एक आत्महत्या के झूठे मामले में लपेटने की धमकी देकर 50 लाख रुपये की मांग की।

मामले की शुरुआत करीब तीन-चार माह पुरानी है, जब प्रदीप नेहरा के मेंथा तेल कारखाने में करीब साढे सात करोड़ का गबन उनके कुछ कर्मचारियों ने कर दिया था। प्रदीप नेहरा उसकी एफ़आईआर दर्ज कराने को थाने व एसपी बलवान सिंह के चक्कर काट रहे थे, लेकिन एफ़आईआर दर्ज नहीं हो रही थी। इसी बीच उनके एक दो वर्ष पूर्व निष्कासित कर्मचारी ने 7 फरवरी को आत्महत्या कर ली। वह कार एजेंसी की वर्कशॉप से 33 लाख के स्पेयर पार्ट के गबन में शामिल था जिसका कि बाकायदा थाने में मुकदमा दर्ज है और केस चल रहा है। मरने वाले ने कहीं भी प्रदीप नेहरा को अपनी मौत के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया उसके बावजूद एसपी की कुर्सी घेरे बैठे डीआईजी राणा ने प्रदीप को इस आत्महत्या केस में लपेटने की धमकी दी। उन्हें कई बार तलब किया और अपने एक डीएसपी के माध्यम से अपनी मांग भी रखी।

प्रदीप ने कहा कि उनकी साढ़े सात करोड़ की रिकवरी हो जायेगी तो वे यह मांग भी पूरी कर देंगे। इस पर एक पुलिसकर्मी ने कहा कि यदि साहब के यहां रहते रिकवरी हो गयी तो उसमें एडजस्ट कर लेंगे, फ़िलहाल तो यह मांग केवल एफ़आईआर दर्ज करने भर की है। प्रदीप द्वारा साफ़ मना कर दिये जाने के बाद बलवान सिंह ने उन्हें आत्महत्या वाले केस में लपेटने की धमकी दी थी। प्रदीप ने साफ़ कह दिया कि वे गिरफ़्तार होने से नहीं डरते और न ही जमानत करायेंगे। वे बाकायदा इस सिस्टम से लड़ने के लिये कटिबद्ध हैं।

डीआईजी बलवान सिंह : लूट का मौका है फिर मिले या न मिले

बलवान सिंह राणा करीब तीन माह बाद रिटायर होने वाले हैं। रिटायरमेंट से पहले लूट कमाई का मोटा हाथ मारने के लिये वे डीआईजी रैंक में आने के बावजूद एसपी की सीट पर ही जमे बैठे हैं, क्योंकि डीआईजी रैंक में ऐसी कोई तैनाती नहीं है जहां बलवान जाते-जाते लूट कमाई कर सके। लूट कमाई का यह अवसर बलवान को कोई मुफ़्त में तो मिला नहीं होगा। इसके लिये तैनाती देने वालों ने भी लूट में से अपना हिस्सा अवश्य तय किया होगा। सवाल गृहमंत्री अनिल विज और 'भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा' का दावा करने वाले मुख्यमंत्री खट्टर पर भी उठना लाजिमी है। ऐसे में हिसार रेंज के आईजी साहब क्यों कुंडली मारे बैठे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में हाल में एक इन्स्पेक्टर को बर्खास्त कर दिया था?

वैसे आत्महत्या के झूठे मुकदमे दर्ज कराना कोई नई बात नहीं क्योंकि झूठ साबित हो जाने के बावजूद भी किसी का कुछ बिगड़ता नहीं। 14 अगस्त 2019 को 'मज़दूर मोर्चा' सम्पादक सतीश कुमार पर भी आत्महत्या का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था।

मरने वाले डीसीपी विक्रम कपूर ने अपने सुसाइड नोट में न तो उनका नाम लिखा था और न ही उनकी डीसीपी कपूर से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक था। इसके बाद ज़िले भर की पुलिस सारा काम-काज छोड़ कर चार सप्ताह तक उनके पीछे दौड़ती रही। अंत में हाईकोर्ट कोर्ट से अग्रिम जमानत हो गयी और उच्च स्तरीय तफ़्तीश करने पर उन्हें पूर्णतया निर्दोष पाया गया। इसके बावजूद झूठे केस में लपेटने वालों के खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यही वह असली कारण है जिसके चलते झूठे केस दर्ज करने वालों के हौंसले व रिश्वत के भाव बढते जा रहे हैं।

इसी सप्ताह बरोत (उत्तर प्रदेश) के तोमर नामक एक व्यापारी ने अपनी मौत के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जिम्मेवार ठहराते हुए पत्नी समेत जहर खा लिया। पत्नी ने जहर खा कर जान दे दी जबकि खुद तोमर उपचाराधीन है। यह घटना फ़ेसबुक पर लाइव हुयी तथा विभिन्न टीवी चैनलों पर देश भर ने देखी लेकिन नरेन्द्र मोदी पर कोई कार्यवाई तो दूर, किसी ने पूछा तक नहीं।

बिजली विभाग की लापरवाही से सुशीला देवी की मौत

फ़रीदाबाद (म.मो.) थाना एनआईटी क्षेत्र में स्थित गांधी कॉलोनी निवासी करीब 40 वर्षीय सुशीला 9 फ़रवरी को प्रात: 6 बजे काम पर जा रही थी तो गली किनारे धरती पर रखा एक बिजली का उपकरण छू जाने से उसे करंट लगा और मौके पर ही मारी गई। मौके पर पहुंचे इस संवाददाता ने देखा कि उस उपकरण में जाने वाली बिजली की तारें नंगी थी जिनसे करंट लगना स्वाभाविक था।

मौका-ए-वारदात पर तुरंत पुलिस के बड़े अधिकारी तो पहुंच गये लेकिन सूचना देने व बुलाने के बावजूद भी कई घंटों तक बिजली विभाग का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। शायद बिजली वाले भीड़ की पिटाई से डर के मारे वहां नहीं पहुंचे होंगे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये बीके अस्पताल पहुंचवाया तथा धारा 304 ए आईपीसी के तहत मुकदमा नम्बर 67 दर्ज कर लिया।

अब देखने वाली बात यह है कि बिजली विभाग के किसी अधिकारी को इस अपराध के लिये कैद होती है या नहीं? इस तरह के बीते अनेकों केसों का इतिहास बताता है कि कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। यदि इस तरह के मामलों में जिम्मेवारी तय करके सम्बन्धित अधिकारियों को कड़ी सजा दी गयी होती तो आज सुशीला न मारी जाती।

सड़क पर रखा मौत का सामान

मोदी के जिम्मे ये आत्महत्याएं

राजीव तोमर एक आम सा व्यापारी। उसका बर्बाद हुआ कारोबार और फिर उसकी आत्महत्या ये समाज की एक आम सी तस्वीर है। कारोबार के डूबने पर लोगों ने पहले भी आत्महत्याएं की हैं। पर पहले ये नहीं हुआ कि उसपर चर्चा न हुई हो। अब ये चीजें चर्चा में नहीं आतीं जो अधिक खौफनाक है।

वे बड़ौत से थे। मोदी के भक्त। तस्वीरों में आना पसंद करते थे। होडिंग में अपना नाम लिखवाना उनको पसंद था। सोशल मीडिया पर ठीक ठाक एक्टिव। निश्चित ही एक धर्म से नफरत भी करते रहे होंगे। खैर।

कारोबार काफी साल से ठीक नहीं चल रहा था। नोटबंदी जीएसटी उसके बाद फुटवियर पर बड़ी हुई जीएसटी। बदहाल धंधे से परेशान थे पर कहते तो किससे। कहें तो हिन्दू राष्ट्र के विरोधी ठहराए जाएंगे। देशद्रोही हो जाएंगे। आखिर अंदर ही अंदर घुलते उन्होंने एफबी पर लाइव आकर अपना दु:ख सबके सामने रखने का निश्चय किया। पत्नी ने बहुत रोका पर उन्होंने जहर पीकर जान देने का निश्चय बदला नहीं। पत्नी ने हारकर वही जहर खुद भी पी लिया। पत्नी मौत का शिकार हो गई, कारोबारी अस्पताल में हैं।

मोदी जी अपनी नीतियां कारोबार के लिए ठीक नहीं हैं। बदलिए उनको, ये शब्द हैं उनके एफबी लाइव के।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।